LatestLaws.com

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 7, 2013/श्रावण 16, 1935
No. 209] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 7, 2013/SRAVANA 16, 1935

विदेश मंत्रालय

(सार्क प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2013

दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय प्रथम नियमावली, 2013

फा. सं. बी 1/321/60/11.—दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (2009 का 8) की धारा 20(1) की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) की अंतर-सरकारी संचालन समिति दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के संचालन हेतु एतद्द्वारा प्रथम नियम बनाती है, जिसे दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय प्रथम नियमावली, 2013 कहा जाएगा और जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से मुख्य परिसर, क्षेत्रीय केन्द्रों, विश्वविद्यालय के परिसरों या केन्द्रों पर लागू होगा और जिसे मार्च, 2011 के सातवें दिन लागू समझा जाएगा, अर्थात् :—

नियम 1: परिभाषाएं

1.1 ''शैक्षिक प्ररिषद्'' से अभिप्राय है विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद्;

1.2 ''शैक्षिक स्टाफ'' से अभिप्राय है ऐसा स्टाफ व पद, जिनका कार्य विश्वविद्यालय में मुख्यत: शिक्षण एवं शोध करना है;

1.3 ''अधिनियम'' से अभिप्राय है ''दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008'' है ;

1.4 ''करार'' से अभिप्राय है दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के लिए 4 अप्रैल, 2007 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित करार;

1.5 ''प्राधिकारियों'' से अभिप्राय है विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं निकाय, जिन्हें निर्णय लेने व उन्हें लागू करने का अधिकार प्राप्त है;

1.6 ''उप नियमों'' से अभिप्राय है विश्वविद्यालय के उप नियम;

LatestLaws.com

1.7 "केन्द्र" से अभिप्राय है विश्वविद्यालय के शिक्षण, परामर्शदायिता व शोध सुविधाएं प्रदान करने वाले केन्द्र;

1.8 "विभागों" से अभिप्राय है संकायों के भीतर सृजित विभाग।

1.9 "कर्मचारी" से अभिप्राय है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति, जिसमें विश्वविद्यालय के शैक्षिक व अन्य कर्मचारी शामिल हैं।

1.10 "कार्यपालक परिषद" से अभिप्राय है विश्वविद्यालय की कार्यपालक परिषद।

1.11 "संकाय" से अभिप्राय है विश्वविद्यालय के संकाय तथा इसमें किसी एक विषय अथवा विषय समूह के अध्ययन एकक शामिल होंगे।

1.12 "शासी बोर्ड" से अभिप्राय है विश्वविद्यालय का शासी बोर्ड।

1.13 "विश्वविद्यालय के अधिकारियों" से अभिप्राय है अध्यक्ष, रजिस्ट्रार, निदेशक वित्त, विद्यार्थियों के डीन, प्रॉक्टर, लाइब्रेरियन, प्रवेश एवं परीक्षा निदेशक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी निदेशक तथा विश्वविद्यालय के शासी बोर्ड द्वारा नामित ऐसे अन्य अधिकारी।

1.14 "निर्धारित" से अभिप्राय है विश्वविद्यालय के नियमों, विनियमों तथा उप नियमों द्वारा निर्धारित।

1.15 "अध्यक्ष" से अभिप्राय है विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, जो विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी होंगे।

1.16 "प्रॉक्टर" से अभिप्राय है विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर।

1.17 "क्षेत्रीय परिसरों" से अभिप्राय है नई दिल्ली स्थित विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर के अलावा सार्क देशों में अन्यत्र स्थापित परिसर।

1.18 "रजिस्ट्रार" से अभिप्राय है विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार।

1.19 "विनियमों" से अभिप्राय है विश्वविद्यालय के विनियम।

1.20 "शोध स्टाफ" से अभिप्राय है विश्वविद्यालय द्वारा शोध के विशेष उद्देश्य के लिए नियुक्त विद्वान।

1.21 "नियमों" से अभिप्राय है विश्वविद्यालय के नियम।

1.22 "सार्क" से अभिप्राय है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ।

LatestLaws.com

1.23 "अध्यापक" से अभिप्राय है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अथवा मान्यताप्राप्त प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर तथा साथ ही अवैतनिक प्रोफेसर, अतिथि प्रोफेसर, अतिथि विद्वान, सहयोजित प्रोफेसर अथवा मानद प्रोफेसर।

1.24 "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर, क्षेत्रीय परिसर तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के सदस्य देशों द्वारा दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 04 अप्रैल, 2007 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित करार के अनुसरण में स्थापित केन्द्र।

1.25 "अतिथि विद्वान" से अभिप्राय है विशेष शैक्षिक प्रयोजन के लिए आमंत्रित/नियुक्त शैक्षिक/शोध स्टाफ के अस्थायी सदस्य।

1.26 "विजीटर" से अभिप्राय है विश्वविद्यालय के विजीटर।

नियम 2: विजीटर

2.1 सार्क का अध्यक्ष विश्वविद्यालय का विजीटर होगा।

2.2 विजीटर मानार्थ उपाधियों सहित उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

2.3 यदि विजीटर उपस्थित होने में असमर्थ है, तो वह दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने के लिए विदेश मंत्री तथा किसी अन्य विख्यात व्यक्ति को नामित करेगा या करेगी।

नियम 3: शासी बोर्ड

3.1 शासी बोर्ड की संरचना

3.1.1 शासी बोर्ड में सार्क के प्रत्येक सदस्य-देश के 2 सदस्य होंगे, जो विनियमों में उल्लिखित तरीके से संबंधित सदस्य-देश द्वारा नामित किए जाएंगे।

3.1.2 अध्यक्ष शासी बोर्ड का पदेन सदस्य होगा।

3.1.3 शासी बोर्ड की अध्यक्षता एक अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, जो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष से संबंधित देश से भिन्न किसी अन्य सदस्य देश की ओर से होगा।

LatestLaws.com

3.1.4 शासी बोर्ड के अध्यक्ष का चयन शासी बोर्ड के सदस्यों में से क्रमागत आधार पर एक वर्ष की एकल अवधि के लिए किया जाएगा।

3.1.5 शासी बोर्ड के सदस्य 3 वर्षों की निर्धारित अवधि के लिए पद धारण करेंगे तथा लगातार 2 अवधियों से अधिक के लिए पद पर नहीं बने रहेंगे।

3.1.6 सार्क के महासचिव अथवा उनके प्रतिनिधि शासी बोर्ड की सभी बैठकों में भाग लेंगे।

3.1.7 रजिस्टार शासी बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा, परंतु निर्णय लेने में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी।

3.2 शासी बोर्ड की शक्तियां

3.2.1 शासी बोर्ड विश्वविद्यालय के नीति निर्माण एवं निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय होगा। शासी बोर्ड के सभी निर्णय सार्क चार्टर में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर सर्वसम्मति द्वारा लिए जाएंगे।

3.2.2 शासी बोर्ड विश्वविद्यालय के शैक्षिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबंधन का निरीक्षण करेगा तथा वह मुख्यतः विश्वविद्यालय से संबंधित मामलों में सार्क सचिवालय तथा सार्क के सदस्य देशों के साथ सम्पर्क के लिए उत्तरदायी होगा।

3.2.3 शासी बोर्ड विश्वविद्यालय की योजनाओं, वार्षिक बजट तथा शैक्षिक कार्यक्रमों का अनुमोदन करेगा।

3.2.4 शासी बोर्ड को विश्वविद्यालय के अध्यक्ष को नियुक्त करने अथवा हटाने तथा उनके परिलाभों एवं सेवा शर्तों को अनुमोदित करने का अधिकार प्राप्त होगा।

3.2.5 शासी बोर्ड विश्वविद्यालय के अध्यापकों एवं अधिकारियों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों को नामित करेगा।

3.2.6 शासी बोर्ड को विश्वविद्यालय के विनियमों तथा उप-नियमों को अनुमोदित एवं संशोधित करने तथा स्थायी समिति के अनुमोदनार्थ नियमों के संशोधन की सिफारिश करने का अधिकार होगा।

3.2.7 शासी बोर्ड कार्यपालक परिषद तथा अध्यक्ष को नियमों, विनियमों तथा उप नियमों को संशोधित करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

3.2.8 शासी बोर्ड इस करार के प्रावधानों, नियमों, विनियमों तथा उप नियमों के अनुसार कार्यपालक परिषद, शैक्षिक परिषद तथा वित्त समिति का उपयुक्त कार्यकरण सुनिश्चित करेगा।

LatestLaws.com

3.2.9 शासी बोर्ड कार्यपालक परिषद की ओर से अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत आवधिक रिपोर्टों सहित वार्षिक रिपोर्टों के माध्यम से विश्वविद्यालय की प्रगति का अनुवीक्षण करेगा तथा उसे करार, नियमों, विनियमों एवं उप नियमों के अनुसार कार्यपालक परिषद को दिशा-निर्देश जारी करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।

3.2.10 शासी बोर्ड किसी विवादित मामले का समाधान करने के लिए उसे स्थायी समिति एवं सार्क मंत्रिमंडल परिषद को भेज सकता है।

3.2.11 शासी बोर्ड को सभी कर्मचारियों के वेतन व सेवा शर्तें निर्धारित एवं परिवर्तित करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।

नियम 4: विश्वविद्यालय का वित्तपोषण

4.1 विश्वविद्यालय अपनी निधियां निम्नलिखित के माध्यम से प्राप्त करेगा:

क देशों से अंशदान

ख विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क

ग आवासीय एवं अन्य प्रकार के आवासों के लिए लाइसेंस शुल्क

घ दान एवं वृत्तिदान

ड. शोध अनुदान एवं परामर्शदायिता

च सरकारी-गैर सरकारी सहभागिता (पीपीपी मॉडल के अनुसार)

छ शासी बोर्ड के अनुमोदन से किसी अन्य माध्यम से।

4.2 पांच वर्षों (कैलेण्डर वर्ष 2010-2014) के प्रथम चरण के दौरान विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की प्रचालनात्मक लागत के वित्तपोषण में सदस्य देशों का हिस्सा इस प्रकार होगा: अफगानिस्तान, 2.30 मिलियन अमरीकी डालर, भूटान, 2.30 मिलियन अमरीकी डालर, बांग्लादेश 4.92 मिलियन अमरीकी डालर, भारत, 34.42 मिलियन अमरीकी डालर, मालदीव 2.30 मिलियन अमरीकी डालर, नेपाल, 2.95 मिलियन अमरीकी डालर, पाकिस्तान, 7.85 मिलियन अमरीकी डालर तथा श्रीलंका 2.95 मिलियन अमरीकी डालर।

4.3 चरण-I के पश्चात विश्वविद्यालय की प्रचालनात्मक लागत के लिए सदस्य-देशों के बीच लागत का विभाजन बाद में निर्धारित किया जाएगा।

नियम 5: अध्यक्ष की नियुक्ति एवं शक्तियां

LatestLaws.com

5.1 अध्यक्ष की नियुक्ति

5.1.1 (i) अध्यक्ष की नियुक्ति शासी बोर्ड द्वारा की जाएगी। (ii) वह किसी एक सार्क देश का नागरिक होगा/होगी तथा विशेष रूप से सार्क क्षेत्र में वैश्विक परिप्रेक्ष्य एवं सूझ-बूझ वाला व्यक्ति होगा/होगी। (iii) वह व्यक्ति शैक्षिक रूप से उत्कृष्टता प्राप्त होना चाहिए, जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थान में प्रोफेसर के स्तर पर 10 वर्षों का शिक्षण एवं शोध कार्य का अनुभव हो। उस व्यक्ति के पास प्रमाणित व्यावसायिकता तथा नेतृत्व के गुण होने चाहिए।

5.1.2 विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यक्ष का नामांकन मेजबान देश द्वारा किया जाएगा। उसके पश्चात विश्वविद्यालय के अध्यक्षों का नामांकन सार्क के संबंधित सदस्य-देशों द्वारा देशों के नामों के क्रम के सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।

5.1.3 मेजबान देश शासी बोर्ड द्वारा प्रथम अध्यक्ष की नियुक्ति के नियम 5.1.1 में किए गए योग्यताओं के आधार पर अपने नामितों के रूप में तीन नामों का पैनल प्रस्तुत करेगा।

5.1.4 उसके बाद के अध्यक्षों का नामांकन सार्क के संबंधित सदस्य देशों द्वारा किया जाएगा तथा उसकी नियुक्ति शासी बोर्ड द्वारा नियम 5.1.3 में उल्लिखित उसी तरीके के आधार पर की जाएगी।

5.1.5 यदि शासी बोर्ड पैनल में शामिल किसी भी नाम को अनुमोदित नहीं करता है तो ऐसी अपवादात्मक स्थिति में वह नामांकन करने वाले सदस्य-देश से नया पैनल प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकता है।

5.1.6 अध्यक्ष कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा या करेगी और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।

5.1.7 अध्यक्ष विनियमों में निर्धारित परिलाभों का पात्र होगा।

5.2 अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य

संलग्न करार में दी गई शक्तियों एवं कार्यों के अलावा अध्यक्ष के पास निम्नलिखित शक्तियां व कार्य होंगे:

5.2.1 अध्यक्ष विश्वविद्यालय में अच्छी व्यवस्था व सक्षमता बनाए रखने एवं संवर्धित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

LatestLaws.com

5.2.2 अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करने का हर प्रयास करें कि नियमों, विनियमों एवं उप-नियमों के प्रावधानों का विधिवत पालन किया गया है तथा विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा लिये गए निर्णयों को लागू किया गया है।

5.2.3 अध्यक्ष के पास कार्यपालक परिषद, शैक्षिक परिषद तथा वित्त समिति की बैठकें आयोजित करने की शक्ति होगी तथा वह नियमों, विनियमों एवं उपनियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए यथावश्यक सभी कार्य निष्पादित करेगा।

5.2.4 अध्यक्ष कार्यपालक परिषद से विचार-विमर्श करके शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-सरकारी दान, वृत्तिदान एवं राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अनुदानों की प्राप्ति, सरकारी-गैर सरकारी सहयोग को संवर्धित करने तथा विश्वविद्यालय-उद्योग के पारस्परिक आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाएगा तथा उसके लिए सक्रिय रूप से कार्य करेगा।

5.2.5 अध्यक्ष विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण अथवा निकाय अथवा समिति की किसी भी बैठक में उपस्थिति होने अथवा उसे सम्बोधित करने का पात्र होगा, परंतु यदि वह ऐसे प्राधिकरण अथवा निकाय अथवा समिति का या की सदस्य नहीं है तो वह उसमें मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा या होगी।

5.2.6 यदि अध्यक्ष के विचार में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें तत्काल कार्रवाई करना अपेक्षित है तो वह आवश्यक समझी गई कार्रवाई करेगा या करेगी तथा उस कार्रवाई को अनुमोदनार्थ उस प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत करेगा या करेगी, जो सामान्य प्रक्रिया में कार्रवाई करती है, बशर्ते कि यदि अध्यक्ष द्वारा की गई वह कार्रवाई उस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती है, तो वह कार्य परिषद को सौंप सकता या सकती है, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

5.2.7 यदि अध्यक्ष का कार्यालय रिक्त हो जाता है तो नियम 5.1 के अंतर्गत रिक्त कार्यालय में किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति होने तक उसके कार्यालय का कार्य उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा और यदि दो अथवा उससे अधिक उपाध्यक्ष हैं, तो कार्य वरिष्ठतम उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

5.2.8 अध्यक्ष विनियमों में निर्धारित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा।

नियम 6: उपाध्यक्ष

6.1 अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय में कार्यरत तीन प्रोफेसरों की पहचान करेगा तथा उपयुक्त अभ्यर्थी की उपलब्धता के शर्ताधीन उपाध्यक्ष के पद के लिए कोई भी अभ्यर्थी अध्यक्ष से संबंधित देश से भिन्न सार्क के अन्य सदस्य देश से संबंधित

LatestLaws.com

होना चाहिए। अगला अध्यक्ष उन देशों से उपाध्यक्षों का चयन करेगा जिससे पिछले उपाध्यक्ष संबंधित नहीं थे।

6.2 यदि उपाध्यक्षों की संख्या एक से अधिक है तो उनमें से वरिष्ठ व्यक्ति को वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा।

6.3 उपाध्यक्ष की सेवा शर्तें एवं निबंधन विनियमों में निर्धारित किए गए हैं।

6.4 उपाध्यक्ष का कार्यकाल पांच वर्षों का होगा तथा उनकी नियुक्ति अध्यक्ष के कार्यकाल की समान अवधि के लिए की जाएगी।

6.5 उपाध्यक्ष के पास निम्नलिखित शक्तियां एवं कार्य होंगे:

6.5.1 (i) उपाध्यक्ष ऐसे मामलों में अध्यक्ष की सहायता करेगा जो कि अध्यक्ष द्वारा अपनी ओर से सौंपे गए हों तथा निर्धारित किए गए हों। (ii) वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कार्यों का निष्पादन भी करेगा या करेगी जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित किए गए हों।

6.5.2 यदि अध्यक्ष विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण, निकाय अथवा समिति का अध्यक्ष भी है तथा वह किसी भी कारणवश ऐसे प्राधिकरण, निकाय अथवा समिति की बैठक से अनुपस्थित रहता या रहती है तो वह किसी एक उपाध्यक्ष को बैठक की अध्यक्षता के लिए प्राधिकृत करेगा या करेगी। इस प्रकार प्राधिकृत किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम उपाध्यक्ष ऐसी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

6.5.3 अध्यक्ष द्वारा अपनी ओर से प्राधिकृत किए जाने पर उपाध्यक्ष विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण, निकाय अथवा समिति में उपस्थिति होने तथा उसे सम्बोधित करने का पात्र होगा, परंतु उस प्राधिकरण, निकाय अथवा समिति में केवल तभी मतदान का पात्र होगा यदि अध्यक्ष मतदान का पात्र सदस्य है।

नियम 7: संकाय डीन

7.1 संकाय के प्रत्येक डीन की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए संबंधित संकाय के प्रोफेसरों में से की जाएगी तथा यदि अन्य पात्र प्रोफेसर उपलब्ध न हो तो वह दूसरी अवधि के लिए भी पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

बशर्ते कि जब डीन का कार्यालय रिक्त है अथवा डीन बीमारी के कारण से अथवा अनुपस्थिति या किसी अन्य कारणवश अपने कार्यालय का कार्य निष्पादित करने में असमर्थ है तो उस

LatestLaws.com

कार्यालय का कार्य ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाएगा, जो अध्यक्ष द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया गया हो।

7.2 (i) डीन संकाय का अध्यक्ष होगा तथा वह संकाय में शिक्षण एवं शोध के मानकों तथा आचरण के लिए भी उत्तरदायी होगा। (ii) वह ऐसे अन्य कार्य भी निष्पादित करेगा या करेगी जो विनियमों द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

7.3 डीन को अध्ययन बोर्ड अथवा संकाय समिति की किसी भी बैठक में उपस्थित होने तथा सम्बोधित करने का अधिकार होगा, परंतु यदि वह उसका सदस्य नहीं है तो उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

7.4 संकाय डीन के कार्य एवं शक्तियां विनियमों में विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार होंगे।

नियम 8: रजिस्ट्रार

8.1 विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की नियुक्ति कार्यपालक परिषद द्वारा विज्ञापन एवं साक्षात्कार के माध्यम से खुले चयन द्वारा की जाएगी तथा वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा:

बशर्ते कि जब रजिस्ट्रार का पद रिक्त होता है अथवा यदि रजिस्ट्रार बीमारी के कारण अथवा अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारणवश कार्यालय का कार्य निष्पादित करने में असमर्थ हैं, तो ऐसे कार्य उन व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किए जाएंगे, जो अध्यक्ष द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए हों।

8.2 रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय की कार्यपालक परिषद तथा शैक्षिक परिषद का सदस्य-सचिव होगा, जिसे मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है।

8.3 रजिस्ट्रार के कार्य एवं शक्तियां विनियमों में विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार होंगे।

नियम 9: निदेशक वित्त

9.1 विश्वविद्यालय के निदेशक वित्त की नियुक्ति कार्यपालक परिषद द्वारा विज्ञापन तथा साक्षात्कार के माध्यम से खुले चयन द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएगी तथा वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। बशर्ते कि जब निदेशक वित्त का पद रिक्त होता है अथवा यदि निदेशक वित्त बीमारी के कारण अथवा अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारणवश कार्यालय का कार्य निष्पादित करने में असमर्थ है, तो ऐसे कार्य उन व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किए जाएंगे, जो अध्यक्ष द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए हों।

LatestLaws.com

9.2 निदेशक वित्त विश्वविद्यालय की वित्त समिति के सदस्य-सचिव होंगे जिन्हें मताधिक नहीं होगा।

9.3 निदेशक वित्त के कार्य एवं शक्तियां विनियमों में निर्धारित की जाएगी।

नियम 10: विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी

10.1 विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अधिकारी भी होंगे:-

i. विद्यार्थियों के डीन
ii. प्रॉक्टर
iii. लाइब्रेरियन
iv. प्रशासन एवं परीक्षा निदेशक
v. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी निदेशक

10.2 विद्यार्थियों के डीन की नियुक्ति एवं कार्य

10.2.1 (i)विद्यार्थियों के डीन की नियुक्ति कार्यपालक परिषद द्वारा अध्यक्ष की सिफारिश विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों में से की जाती है।
(ii) इस प्रकार नियुक्त डीन पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा वह तीन वर्ष की अवधि के लि पद धारण करेगा तथा एक अतिरिक्त अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

10.2.2विद्यार्थियों के डीन के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपने मूल पद पर कार्य करना अथवा पर ग्रहणाधिकार जारी रखेगा तथा उन सभी लाभों का पात्र होगा, जोकि विद्यार्थियों के डीन रूप में नियुक्ति से उसे अन्यथा प्राप्त होने थे।

10.2.3यदि विद्यार्थियों के डीन का पद रिक्त है अथवा जब विद्यार्थियों के डीन बीमारी कारण अथवा अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारणवश कार्यालय का कार्य निष्पादित क में असमर्थ हैं, तो ऐसे कार्य उन व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किए जाएंगे, जो अध्यक्ष द्वारा उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए हों।

10.2.4 विद्यार्थियों के डीन तथा एसोसिएट डीन के कार्य एवं शक्तियां विनियमों में निर्धा किए जाएंगे।

10.3 प्रॉक्टरों के कार्य एवं नियुक्ति

10.3.1 प्रॉक्टर की नियुक्ति कार्यपालक परिषद द्वारा अध्यक्ष की सिफारिश पर विश्वविद्या के प्रोफेसरों में से की जाती है तथा वह विश्वविद्यालय में अच्छा शैक्षिक माहौल कायम क

LatestLaws.com

के उद्देश्य से अनुशासन एवं सहयोग बनाए रखने में ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों का निष्पादन करेगा।

10.3.2 प्रॉक्टर पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा वह तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा तथा एक अतिरिक्त अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

10.4 लाइब्रेरियन की नियुक्ति एवं कार्य

10.4.1 लाइब्रेरियन की नियुक्ति कार्यपालक परिषद द्वारा विज्ञापन एवं साक्षात्कार के माध्यम से खुले चयन द्वारा की जाएगी तथा वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

10.4.2 लाइब्रेरियन के कार्य एवं शक्तियां विनियमों में विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार होंगे।

10.5 प्रवेश एवं परीक्षा निदेशक के कार्य एवं नियुक्ति

10.5.1 प्रवेश एवं परीक्षा निदेशक की नियुक्ति कार्यपालक परिषद द्वारा विज्ञापन एवं साक्षात्कार के माध्यम से खुले चयन द्वारा की जाएगी तथा वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

10.5.2 प्रवेश एवं परीक्षा निदेशक के कार्य एवं शक्तियां विनियमों में निर्धारित किए जाएंगे।

10.6 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी निदेशक के कार्य एवं नियुक्ति

10.6.1 (i)सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी निदेशक की नियुक्ति कार्यपालक परिषद द्वारा विज्ञापन एवं साक्षात्कार के माध्यम से खुले चयन द्वारा की जाएगी तथा वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।
(ii) वह विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-शासन के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रणालियां लागू करने एवं बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी।

10.6.2 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी निदेशक के कार्य एवं शक्तियां विनियमों में निर्धारित किए जाएंगे।

नियम 11: कार्यपालक परिषद

11.1 कार्यपालक परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:-

i. अध्यक्ष (पदेन) जो कार्यपालक परिषद का अध्यक्ष होगा;

ii. सभी उपाध्यक्ष, पदेन;

LatestLaws.com

iii. क्षेत्रीय परिसरों के सभी अध्यक्ष;

iv. पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष;

v. शासी बोर्ड उद्योग, वाणिज्य एवं व्यावसायिक/शोध, शैक्षिक संस्थानों के अग्रणी व्यक्तियों में से चार व्यक्तयों को नामित करेगा। ये नामांकन सार्क सदस्य देशों से क्रमागत आधार पर किए जाएंगे;

vi. विद्यार्थियों के डीन, पदेन;

vii. अध्यक्ष वरिष्ठता के अनुसार क्रम के आधार पर संकाय के अधिकतम पांच डीन नामित करेगा;

viii. मताधिकार के बिना सदस्य सचिव के रूप में रजिस्ट्रार;

ix. मताधिकार के बिना सदस्य के रूप में निदेशक;

11.2 कार्यपालक परिषद के नामित सदस्य अपने नामांकन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

11.3 कार्यपालक परिषद की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या दो-तिहाई होगी तथा कोई भी निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के तीन-चौथाई बहुमत द्वारा लिया जाएगा।

11.4 कार्यपालक परिषद प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी। यदि आवश्यक हो अथवा कार्यपालक के पचास प्रतिशत सदस्यों के हस्ताक्षरित अनुरोध पर अध्यक्ष परिषद की विशेष बैठक बुला सकता है। परिषद की सभी बैठकों की कार्यसूची परिषद के प्रत्येक पात्र सदस्य को बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम पंद्रह (15) कार्यदिवस पहले भेजी जाएगी।

11.5 कार्यपालक परिषद के कार्य एवं शक्तियां विनियमों में निर्धारित की जाएगी।

नियम 12: शैक्षिक परिषद

12.1 शैक्षिक परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

i. अध्यक्ष जोकि शैक्षिक परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा;

ii. उपाध्यक्ष पदेन;

iii. संकाय डीन, पदेन;

LatestLaws.com

iv. विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संस्थानों के अध्यक्ष, पदेन;

v. क्षेत्रीय परिसरों के अध्यक्ष;

vi. अंतर्विषयक शोध केंद्रो के अध्यक्ष, पदेन;

vii. विद्यार्थियों के डीन, पदेन;

viii. लाइब्रेरियन, पदेन;

ix. पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष;

x. विभागाध्यक्ष, पदेन;

xi. विशेष केन्द्रों तथ विशिष्टता प्राप्त प्रयोगशालाओं के अध्यक्ष, पदेन;

xii. अध्यक्ष प्रत्येक संकाय से पदेन सदस्यों के अलावा एक प्रोफेसर तथा एक एसोसिएट प्रोफेसर को संकाय में से वरिष्ठता क्रम के अनुसार क्रमागत आधार पर नामित करेंगे;

xiii. शैक्षिक परिषद अध्यक्ष की सिफारिश पर तीन विशेषज्ञों (जो विश्वविद्यालय अथवा इसके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान के कर्मचारी न हो), को चुनेगी;

12.2 पदेन सदस्यों के अलावा शैक्षिक परिषद के सभी सदस्य अपने नामांकन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। इन सदस्यों की अवधि उनके नामांकन अथवा चयन, जैसा भी मामला हो, की तारीख से शुरू होगी।

12.3 विशेष मदों के लिए विद्यार्थियों के लिखित अनुरोध पर अध्यक्ष अधिकतम दो विद्यार्थियों को शैक्षिक परिषद में अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

12.4 शैक्षिक परिषद की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या दो-तिहाई होगी तथा कोई भी निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के तीन-चौथाई बहुमत द्वारा लिया जाएगा।

12.5 शैक्षिक परिषद के कार्य एवं शक्तियां विनियमों में विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार होंगे।

नियम 13: क्षेत्रीय परिसर

13.1 विनियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विभिन्न सार्क सदस्य देशों में इस विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय परिसर होंगे।

LatestLaws.com

13.2 क्षेत्रीय परिसर का एक प्रमुख होगा जो इस परिसर का मुख्य कार्यपालक सदस्य होगा तथा क्षेत्रीय परिषद द्वारा निर्देशित क्षेत्रीय परिसर का प्रशासन करेगा। क्षेत्रीय परिसर तथा क्षेत्रीय परिसर के कार्य एवं शक्तियां विनियमों में निर्धारित किए जाएंगे।

13.3 (i) क्षेत्रीय परिसर के प्रमुख की नियुक्ति शासी बोर्ड द्वारा की जाएगी।

(ii)वह सार्क के किसी सदस्य देश का नागरिक होगा जो कि शासी बोर्ड द्वारा निर्धारित अर्हताप्राप्त होगा।

13.4 प्रत्येक क्षेत्रीय परिसर के प्रथम प्रमुख को मेजबान देश द्वारा नामित किया जाएगा और उसके पश्चात क्षेत्रीय परिसरों के अनुवर्ती प्रमुखों को उनके नामों के क्रमानुसार सार्क के संबंधित सदस्य-देशों द्वारा नामित किया जाएगा तथा शासी बोर्ड द्वारा उनकी नियुक्ति नीचे उल्लिखित नियम 13.5 में उल्लिखित आधार पर की जाएगी।

13.5 मेजबान देश अपने नामितों के रूप में तीन नामों का पैनल प्रस्तुत करेगा जिसमें से क्षेत्रीय परिसर के प्रमुख का चयन शासी बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

13.6 अपवादात्मक परिस्थितियों में यदि शासी बोर्ड पैनल में शामिल किसी नाम को अनुमोदित नहीं करता है, तो वह नामित करने वाले सदस्य देश से नया पैनल प्रस्तुत करने का अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

13.7 क्षेत्रीय परिसर का प्रमुख कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्षों की एकल अनवीकरणीय अवधि के लिए पद धारण करेगा/करेगी।

13.8 सार्क के सदस्य देश का क्षेत्रीय परिसर शैक्षिक उत्कृष्टता का केन्द्र होगा, जो कि किसी देश में उसकी विज्ञान व प्रौद्योगिकी में उपलब्धियों व इसकी भौगोलिक पर्यावरणात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं सहित उस देश में उपलब्ध विशेष विशेषज्ञता एवं प्रमाणित जानकारी एवं निपुणता का लाभ उठाने व उपयोग करने का प्रयास करेगा।

13.9 क्षेत्रीय परिसर की शासन संरचना, वित्तीय अधिकार, संकाय एवं विद्यार्थी निकाय प्रायः विनियमों में निर्धारित मुख्य परिसर के अनुरूप होंगे।

नियम 14: संकाय, शोध केन्द्र, अन्य संस्थान

14.1 (i) विश्वविद्यालयों में ऐसे संकाय, विभाग, शोध संस्थान, अंतरविषयक शोध केन्द्र, विशिष्टताप्राप्त प्रयोगशालाएं एवं अन्य शैक्षिक एकक होंगे, जो विनियमों में निर्धारित किए गए हो। शासी बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर ही ऐसे निकाय स्थापित किए जाने चाहिए।

LatestLaws.com

(ii) विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों विशेष रूप स पीएचडी का प्रतिपादन करार के अनुच्छेद 2 में उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

14.2 विनियमों में निर्धारित प्रक्रियाएं अपनाकर शोध केन्द्रों, शोध संस्थानों, संकायों, विभागों अथवा किसी अन्य शैक्षिक एकक के रूप में नए शैक्षिक कार्यकलाप स्थापित किए जा सकते हैं।

14.3 विश्वविद्यालय में काम-काज अथवा संवाद की भाषा अंग्रेजी होगी।

14.4 प्रत्येक संकाय में एक **अध्ययन बोर्ड** होगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

(i) संकाय डीन जो बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा;

(ii) संकाय/संस्थान में एसोसिएट डीन/विभागाध्यक्ष;

(iii) संकाय के सभी प्रोफेसर;

(iv) यदि संकाय में कोई विभाग नहीं है तो संकाय में से वरिष्ठता के अनुसार क्रमागत आधार पर दो एसोसिएट प्रोफेसर एवं दो सहायक प्रोफेसर;

(v) यदि संकाय में विभाग है तो संकाय के भीतर प्रत्येक विभाग से वरिष्ठता के अनुसार क्रमागत आधार पर एक एसोसिएट प्रोफेसर तथा एक सहायक प्रोफेसर;

(vi) शैक्षिक परिषद संकाय को सौंपे गए किसी विषय तथा शिक्षा की किसी संबंधित शाखा में उनके विशेष ज्ञान के लिए तीन सदस्यों को नामित करेगा।

14.5 पदेन सदस्य के अलावा बोर्ड के सभी सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। इन सदस्यों की अवधि उनके नामित करने की तारीख से शुरू होगी।

14.6 प्रत्येक बोर्ड को ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी और वह ऐसे कार्य निष्पादित करेगा जो कि विनियमों में शामिल हों।

14.7 बोर्ड की बैठकों का आयोजन तथा अपेक्षित गणपूर्ति विनियमों में निर्धारित की जाएगी।

नियम 15: विभाग

15.1 प्रत्येक संकाय में ऐसा विभाग या ऐसे विभाग होने चाहिए जो विनियमों के अंतर्गत उसके लिए निर्धारित किए गए हैं।

LatestLaws.com

15.2 प्रत्येक विभाग में एक प्रमुख होगा जिसकी नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए विभाग के प्रोफेसरों में से क्रमागत आधार पर की जाएगी, बशर्ते कि यदि विभाग में कोई प्रोफेसर नहीं है तो अध्यक्ष एसोसिएट प्रोफेसर को विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त कर सकता है।

15.3 प्रत्येक विभाग में एक **शैक्षिक समिति** होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

(i) विभाग प्रमुख;

(ii) विभाग के अध्यापक;

(iii) विभाग से संबद्ध अवैतनिक प्रोफेसर, यदि कोई हो;

(iv) शैक्षिक परिषद अन्य संकायों या विभागों से दो व्यक्ति उन विभागों से संबंधित विषयों में ज्ञान के लिए नामित करेगा।

15.4 इसकी बैठकों के लिए गणपूर्ति के रूप में सदस्यों की संख्या दो-तिहाई होगी तथा इसके निर्णय उपस्थित तथा मतदान करने वाले दो-तिहाई बहुमत द्वारा लिये जाएंगे।

15.5 विभाग के प्रमुख या अध्यक्ष के कार्य एवं कर्तव्य विनियमों में विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार होंगे।

नियम: 16 वित्त समिति

16.1 वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

(i) अध्यक्ष;

(ii) उपाध्यक्ष;

(iii) शासी बोर्ड द्वारा नामित एक व्यक्ति;

(iv) कार्यपालक परिषद क्रमागत आधार पर किन्हीं दो सार्क सदस्य देशों से दो व्यक्ति नामित करेगी, जो विश्वविद्यालय अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के कर्मचारी न हों तथ उनमें से एक अनुभवी चार्टेड एकांउटेड हो;

(v) मताधिकार के बिना सदस्य के रूप में रजिस्ट्रार;

(vi) क्रमागत आधार पर संकाय के दो डीन, जो अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे;

LatestLaws.com

(vii) मताधिकार के बिना सदस्य सचिव के रूप में निदेशक वित्त।

16.2 अध्यक्ष वित्त समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

16.3 पदेन सदस्यों के अलावा वित्त समिति के सभी सदस्य तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

16.4 वित्त समिति लेखे की जांच करने, बजट तैयार करने तथा व्यय के प्रस्तावों की जांच करने के लिए प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी।

16.5 निदेशक वित्त द्वारा तैयार वार्षिक लेखे व वित्तीय अनुमान विचारार्थ व टिप्पणी के लिए वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे तथा उसके पश्चात संशोधनों सहित अथवा रहित, उन्हें अनुमोदनार्थ कार्यपालक परिषद को प्रस्तुत किया जाएगा।

16.6 इसकी बैठकों के लिए गणपूर्ति के रूप में वित्त समिति के सदस्यों की संख्या दो-तिहाई होगी तथा इसके निर्णय उपस्थित तथा मतदान करने वाले तीन-चौथाई बहुमत द्वारा लिये जाएंगे।

नियम 17: समितियों की नियुक्ति

समितियों की नियुक्ति शासी बोर्ड, कार्यपालक परिषद अथवा शैक्षिक परिषद द्वारा की जा सकती है, जिनमें समितियां नियुक्त करने वाले प्राधिकरण के सदस्य तथा ऐसे अन्य सदस्य भी शामिल होंगे, जो प्रत्येक मामले में प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त समझे गए हों तथा ऐसी समितियां सौंपे गए किसी भी विषय पर कार्रवाई कर सकती हैं, जो कि इसे नियुक्त करने वाले प्राधिकरण द्वारा बाद में पुष्टि पर निर्भर करती है।

नियम 18: बैठक की अध्यक्षता के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण, बोर्ड अथवा समिति की बैठक की अध्यक्षता के लिए नियमों एवं विनियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है अथवा यदि किए गए प्रावधान के अनुसार अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य का चयन करेंगे।

नियम 19: पद त्याग

19.1 विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण, बोर्ड अथवा समिति के पदेन सदस्य के अलावा कोई अन्य सदस्य रजिस्ट्रार को संबोधित त्यागपत्र प्रस्तुत करके अपना पद त्याग सकता है तथा यह त्यागपत्र प्राधिकरण अथवा बोर्ड अथवा समिति, जैसी भी मामला हो, द्वारा स्वीकार करने की तारीख से प्रभावी होगा।

3445 GI/13—3

LatestLaws.com

19.2 विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी (भले ही वेतनभोगी हो या अन्यथा) रजिस्ट्रार को संबोधित त्यागपत्र प्रस्तुत करके अपने पद का त्याग कर सकता है तथा ऐसा त्यागपत्र रिक्ति को भरने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे स्वीकार करने की तारीख से प्रभावी होगा।

नियम 20: प्राधिकरण के सदस्यों की अयोग्यता

20.1 किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य बनने अथवा इसके लिए चयन हेतु अयोग्य घोषित किया जा सकता है:

(i) यदि वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानसिक रूप से विक्षिप्त पाया जाता/जाती है;

(ii) यदि वह विश्वविद्यालय की तथ्यान्वेषी समिति द्वारा स्थापित किसी वित्तीय गबन के मामले में संलिप्त है;

(iii) यदि वह किसी न्यायालय द्वारा नैतिक रूप से चरित्रहीनता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध है तथा उस मामले के संबंध में उसे कम से कम 6 महीने की कैद की सजा सुनाई गई है।

20.2 यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई व्यक्ति खंड 20.1 में उल्लिखित अयोग्यताओं की दृष्टि से अयोग्य है अथवा अयोग्य ठहराया गया है, तो वह मामला निर्णय के लिए कार्यपालक परिषद को सौंपा जाएगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा तथा ऐसे निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता।

नियम 21: मानार्थ उपाधियां प्रदान करना

शैक्षिक परिषद मानार्थ उपाधियां प्रदान करने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव कार्यपालक परिषद को प्रस्तुत कर सकता है तथा यदि कार्यपालक परिषद उस प्रस्ताव को स्वीकार करती है, तो उसके लिए शासी बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

नियम 22: उपाधि, डिप्लोमा अथवा श्रेणी इत्यादि वापस लेना

शैक्षिक परिषद उपस्थित एवं मतदान करने वाले तीन-चौथाई सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प से सही व पर्याप्त कारण पाए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की गई उपाधि अथवा श्रेणी या कोई प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा वापस लेने के संबंध में कार्यपालक परिषद को सिफारिश कर सकती है:

LatestLaws.com

बशर्ते कि ऐसा संकल्प तब तक पारित न किया जाए, जब तक कि उस व्यक्ति को लिखित नोटिस न दिया गया हो, जिसमें उस व्यक्ति को नोटिस में दर्शाई गई अवधि के भीतर कारण बताने के लिए कहा गया हो तथा उस संकल्प को तब तक पारित न किया जाए, जब तक कि शैक्षिक परिषद उस व्यक्ति द्वारा व्यक्त आपत्तियों, यदि कोई हों, अथवा उसके द्वारा उनके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार न कर ले।

नियम 23: विश्वविद्यालय के अध्यापक

23.1 निम्नलिखित व्यक्ति विश्वविद्यालय के अध्यापक होंगे:

(i) कार्यपालक परिषद द्वारा प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों तथा सहायक प्रोफेसरों के रूप में नियुक्त विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक कर्मचारी होंगे;

(ii) कार्यपालक परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के अवैतनिक प्रोफेसर, अतिथि प्रोफेसर, अतिथि विद्वान, सहयोजित प्रोफेसर तथा मानद प्रोफेसर के रूप में नियुक्त व्यक्ति होंगे।

23.2 विश्वविद्यालय के अध्यापक मुख्य रूप से सार्क सदस्य देशों के नागरिक होंगे। सार्क के किसी सदस्य देश से अध्यापकों की संख्या विश्वविद्यालय के कुल अध्यापकों की संख्या का कम से कम 4% होनी चाहिए, जोकि उपलब्धता के अध्यधीन होगी। अध्यापकों के 20% स्वीकृत पदों को सार्क क्षेत्र से बाहर के देशों के नागरिकों द्वारा भरा जाएगा, बशर्ते कि यदि सार्क से बाहर देशों से अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं, तो सार्क क्षेत्र से अध्यापकों की नियुक्ति की जाए।

23.3 सभी अध्यापकों का चयन विनियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार पूरी तरह मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

23.4 विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी एक संकाय में नियुक्त अध्यापक के लिए सहयोजित संकाय के रूप में अन्य संकाय में जाने का विकल्प होगा।

23.5 कार्यपालक परिषद द्वारा नियम 24 के अंतर्गत नियुक्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को नियम 23.1 के अंतर्गत अध्यापक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति द्वारा उसकी सिफारिश न की गई हो।

23.6 विश्वविद्यालय के अध्यापकों के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) गैर-पक्षपाती, गैर-साम्प्रदायिक तथा पूरी तरह निष्पक्ष होना;

(ii) व्याख्यानों, शिक्षण कक्षाओं, चर्चाओं, संगोष्ठियों तथा प्रदर्शनियों द्वारा विद्यार्थियों का शिक्षण करना;

LatestLaws.com

(iii) शोध का आयोजन, मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करना;

(iv) विद्यार्थियों के पाठयेत्तर कार्यकलापों का पर्यवेक्षण एवं वैयक्तिक मार्गदर्शन करना;

(v) पाठ्यक्रम व पाठ्य सूची तैयार करने, परीक्षा आयोजित करने अथवा प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों तथा विश्वविद्यालय के अन्य पाठ्य एवं पाठ्येत्तर कार्यक्रलापों के आयोजन में सहायता करना;

(vi) विश्वविद्यालय द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों एवं दायित्वों का निष्पादन करना।

नियम 24: आमंत्रण द्वारा नियुक्ति

नियम 23 में शामिल किसी भी व्यवस्था के बावजूद, कार्यकारी परिषद उच्च शैक्षिक श्रेणी तथा व्यावसायिक उपलब्धि वाले किसी भी व्यक्ति को आवश्यक समझी गई शर्तों एवं निबंधनों पर, जैसा भी मामला हो, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित कर सकती है तथा यदि वह व्यक्ति ऐसा करने के लिए सहमत है, तो उसे पद पर नियुक्त कर सकती है।

नियम 25: कर्मचारी की सेवा शर्तें

25.1 विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी को एक लिखित अनुबंध के अंतर्गत नियुक्त किया जाएगा, जिसे विश्वविद्यालय के पास रखा जाएगा तथा उसकी एक-एक प्रति संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

25.2 (i) विश्वविद्यालय तथा किसी कर्मचारी के बीच अनुबंध से उत्पन्न कोई भी विवाद संबंधित कर्मचारी के अनुरोध पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण को सौंपा जा सकता है, जिसमें संबंधित कर्मचारी द्वारा नामित एक सदस्य एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित एक सदस्य शामिल होगा तथा शासी बोर्ड एक निर्णायक नियुक्त करेगा, जोकि उपनियमों में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(ii) न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

नियम 26: प्रवेश एवं विद्यार्थी

26.1 (i) नियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का चयन सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

(ii) विश्वविद्यालय की सभी प्रवेश परीक्षाएं अंग्रेजी में आयोजित की जाएंगी।

LatestLaws.com

26.2 मेजबान देश से 50% से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

26.3 सार्क से बाहर के देशों से 10% विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।

26.4 मेजबान देश के अलावा अन्य सदस्य देश से विद्यार्थियों की संख्या 4% से कम नहीं होगी, बशर्ते कि वे प्रवेश मापदण्ड पूरे करते हों तथा वे सामान्यतः प्रत्येक सदस्य देश की जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करेंगे।

26.5 यदि किसी देश से न्यूनतम कोटा (4%) पर भर्ती करने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्हताप्राप्त विद्यार्थी उपलब्ध नहीं हैं, तो अध्यक्ष शैक्षिक परिषद की सलाह पर सार्क के अन्य सदस्य देशों की प्रतीक्षा सूची समाप्त करने के बाद अन्य देशों को रिक्त सीटों की पेशकश कर सकता है।

26.6 विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय परिसर में मेजबान देश से 50% विद्यार्थियों और सार्क से बाहर देशों से 10% विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा तथा अन्य सार्क सदस्य-देशों से शेष विद्यार्थियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश से न्यूनतम 4% विद्यार्थी होंगे। यदि कोटे की कुछ सीटें रिक्त रहती हैं, तो वे मेजबान देश के अर्हताप्राप्त विद्यार्थियों की दी जा सकती हैं (सार्क के अन्य सदस्य देशों से प्रतीक्षा सूची समाप्त करने के बाद प्रतीक्षा सूची के पैनल में थे)।

नियम 27: वीजा एवं आवासीय परमिट

इस करार के अनुच्छेद 6 के अनुसार सदस्य देश विद्यार्थियों, संकायों तथा स्टाफ को सार्क के सभी सदस्य देशों में यात्रा करने के लिए उचित वीजा प्रदान करेंगे तथा विद्यार्थियों, संकायों एवं प्रशासनिक स्टाफ को विश्वविद्यालय तथा इसके विभिन्न परिसरों, केन्द्रों एवं सहयोगी शैक्षिक संस्थानों में कार्य करने के लिए आवश्यक आवासीय परमिट प्रदान करेंगे।

नियम 28: विद्यार्थियों के अधिकार एवं दायित्व

विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त सभी विद्यार्थियों के अधिकार एवं दायित्व "दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए पुस्तिका" में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, जो कि विश्वविद्यालय के उप-नियमों का अनिवार्य भाग होंगे।

नियम 29: विद्यार्थियों का अनुशासन

29.1 विद्यार्थियों के अनुशासन तथा अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में सभी शक्तियां अध्यक्ष के पास निहित होंगी।

LatestLaws.com

29.2 अध्यक्ष अपनी सभी अथवा आवश्यक समझी गई शक्तियां प्रॉक्टर अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकता है, जो इनकी ओर से विशेष रूप में नामित किए गए हों।

29.3 अनुशासन बनाए रखने तथा अनुशासन बनाने के हित में उचित समझी गई कार्रवाई करने के संबंध में अपनी शक्तियों को प्रभावित किए बिना अध्यक्ष अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश अथवा निदेश दे सकता है कि कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी विभाग, संकाय अथवा शोध केन्द्र/संस्थान से निष्कासित किया जाए अथवा किसी निर्धारित अवधि के लिए अथवा निर्धारित न की गई अवधि के लिए अस्थायी रूप से निष्कासित किया जाए अथवा उसे विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी विभाग, संकाय शोध केन्द्र/संस्थान के पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश न दिया जाए अथवा किसी निर्धारित राशि का जुर्माना लगाया जाए अथवा किसी एक अथवा एक से अधिक सेमेस्टर के लिए परीक्षा देने से वर्जित किया जाए अथवा यह निदेश भी दे सकता है कि संबंधित विद्यार्थी जिन परीक्षाओं में उपस्थित हुए थे, उनके परीक्षा परिणामों को रद्द कर दिया जाए अथवा उन पर रोक लगा दी जाए।

29.4 विश्वविद्यालय में संकाय के किसी डीन, क्षेत्रीय परिसरों के प्रमुखों, संस्थानों, विभागों, शोध केन्द्रों तथा अन्य शैक्षिक एककों के प्रमुखों को ऐसी सभी अनुशासनिक शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार होगा, जो ऐसे शैक्षिक एककों के उचित संचालन के लिए आवश्यक है।

29.5 इन नियमों अथवा विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रॉक्टर की शक्तियों को प्रभावित किए बिना डीन, क्षेत्रीय परिसरों के प्रमुख, संस्थान, विभागों, शोध केन्द्र तथा अन्य शैक्षिक एककों के प्रमुख ऐसे पूरक नियम बना सकते हैं, जो उनके विशेष शैक्षि कार्यचालन के लिए आवश्यक समझे गए हैं।

नियम 30: एलुमनी संघ

30.1 विश्वविद्यालय के लिए एक एलुमनी संघ स्थापित किया जाएगा।

30.2 एलुमनी संघ की सदस्यता के लिए अंशदान उप नियमों के अनुसार निर्धारित वि जाएगा।

30.3 एलुमनी संघ का कोई सदस्य चुनाव में खड़े होने अथवा मतदान करने का पात्र होगा, जब तक कि वह चुनाव की तारीख से पहले एक से कम एक वर्ष के लिए संघ सदस्य न रहा हो तथा कम से कम 5 वर्षों के लिए विश्वविद्यालय का स्नातक न रहा

LatestLaws.com

बशर्ते कि एक वर्ष की सदस्यता पूरी होने की शर्त विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद प्रथम चुनावों के लिए लागू नहीं होगी।

नियम 31: वार्षिक रिपोर्ट

विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट शासी बोर्ड के निदेशन में कार्यपालक परिषद द्वारा तैयार की जाएगी तथा विजीटर को प्रस्तुत करने से पहले शासी बोर्ड द्वारा उस पर विचार किया जाएगा।

नियम 32: लेखों की लेखापरीक्षा

32.1 (i) शासी बोर्ड द्वारा प्राधिकृत क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाली अनुभवी लेखापरीक्षा फर्में प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार तथा अधिक से अधिक 15 महीनों के अंतराल पर विश्वविद्यालय के लेखों की लेखापरीक्षा करेंगी।

(ii) कार्यपालक बोर्ड लेखापरीक्षा फर्मों के चयन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएगा।

32.2 यदि लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कुछ विशेष समस्याएं पाई जाती हैं तो विश्वविद्यालय उप-नियमों में निर्धारित प्रणालियों के माध्यम से शीघ्र उनका उपचार करेगा।

32.3 विश्वविद्यालय के लेखों की एक प्रति के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ शासी बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

नियम 33: बौद्धिक सम्पदा अधिकार

33.1 हालांकि, विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य मात्र अनुमानित लाभ की दृष्टि से शोध कार्य करना नहीं है, फिर भी विश्वविद्यालय में सृजनात्मक कार्यकलापों के दोहन से वित्तीय लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे दोहन कार्य एक संरचना के भीतर किए जाने चाहिए, जो निष्पक्ष एवं उपयुक्त रूप से बौद्धिक सम्पदा सृजित करने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ विश्वविद्यालय के हितों की सुरक्षा करते हों।

33.2 इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय उप नियमों में निर्धारित "बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की पुस्तिका" में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के आदान-प्रदान के लिए समय-समय पर अपने नियमों को अधिसूचित करेगा।

नियम 34: महिला उत्पीड़न के संबंध में नीतियां एवं प्रक्रियाएं

34.1 विश्वविद्यालय में महिला उत्पीड़न वर्जित होगा तथा यह सभी अध्यापकों, शैक्षिक, प्रशासनिक एवं सेवा स्टाफ तथा विद्यार्थियों के लिए लागू होगा।

LatestLaws.com

34.2 इस प्रयोजन के लिए उप नियमों में निर्धारित "महिला उत्पीड़न-रोधी पुस्तिका" में महिला उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए विशेष प्रक्रियाओं तथा महिला उत्पीड़न के अपराधियों के विरुद्ध निष्कासन या बर्खास्तगी सहित दण्डात्मक कार्रवाई करने के प्रावधानों का सुझाव दिया जाएगा।

नियम 35: विनियम

35.1 इस करार तथा इन नियमों के अध्यधीन विनियमों में निम्नलिखित सभी मामलों के लिए प्रावधान किए जाएंगे, परंतु ये प्रावधान उन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:-

(i) विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रमों तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, डिग्रियों, डिप्लोमों तथा प्रमाण-पत्र के लिए प्रभारित शुल्क;

(ii) जांचकर्ता निकायों, जांचकर्ताओं तथा निर्णायकों की कार्यविधि, नियुक्ति के तरीके तथा कार्यों सहित परीक्षाओं का आयोजन;

(iii) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, मैडल व पुरस्कार प्रदान करने के लिए शर्तें;

(iv) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासन लागू करना;

(v) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आवास की शर्तें

(vi) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की संख्या, अर्हताएं, परिलब्धियों तथा सेवा शर्तें;

(vii) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित संकायों, विभागों, संस्थानों व शोध केन्द्रों का प्रबंधन;

(viii) विश्वविद्यालय के संकायों, विभागों, संस्थानों एवं शोध केन्द्रों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण; और

(ix) इस करार व इन नियमों के अंतर्गत अन्य सभी मामले, जिनके लिए उप नियमों में प्रावधान किया जाना है अथवा किया जा सकता है।

35.2 ये विनियम शासी बोर्ड के अनुमोदन से कार्यपालक परिषद द्वारा बनाए जाएंगे।

35.3 ये विनियम शासी बोर्ड द्वारा किसी भी समय संशोधित, रद्द अथवा संवर्धित किए जा सकते हैं।

35.3.1 नियम 35.2 तथा 35.3 में शामिल किसी भी व्यवस्था के बावजूद शैक्षिक परिषद परामर्श किये बिना किन्हीं भी नियमों को संशोधित अथवा संवर्धित नहीं किया जाएगा, विद्यार्थियों के आवास शर्तों अथवा अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

LatestLaws.com

35.3.2 विद्यार्थियों के प्रवेश अथवा सदस्यता या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समकक्ष मान्यताप्राप्त परीक्षाओं के निर्धारण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले अथवा परीक्षकों की शर्तों, नियुक्ति के तरीके अथवा कार्यों पर परीक्षाओं अथवा किसी अन्य अध्ययन पाठ्यक्रम के आयोजन अथवा स्तर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले किसी भी विनियम का निर्माण, संशोधन अथवा संवर्धन नहीं किया जाएगा, जब तक कि शैक्षिक परिषद ऐसे विनियमों के प्रारूप पर विचार न कर ले तथा उसे अनुमोदित न कर दे।

35.4 कार्यपालक परिषद के पास शैक्षिक परिषद द्वारा नियम 35.3.1 तथा 35.3.2 के अंतर्गत प्रस्तावित किसी मसौदे को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी, परंतु वह उस प्रस्ताव को रद्द कर सकता है अथवा कार्यपालक परिषद द्वारा सुझाए गए किसी संशोधन के साथ इस मसौदे को आंशिक या पूर्ण रूप से पुनर्विचार के लिएं शैक्षिक परिषद को वापस कर सकती है।

35.5 यदि कार्यपालक परिषद शैक्षिक परिषद को पुनर्विचार के लिए मसौदा भेजती है तो शैक्षिक परिषद इस पर पुनर्विचार करेगी तथा कार्यपालक परिषद से संदर्भ प्राप्त होने की तारीख के 6 महीनों के भीतर मसौदे का मूल रूप अथवा संशोधित रूप कार्यपालक परिषद को पुनःप्रस्तुत करेगी।

35.6 कार्यपालक परिषद द्वारा बनाए गए सभी विनियम यथाशीघ्र शासी बोर्ड को प्रस्तुत किए जाएंगे तथा शासी बोर्ड अपनी अगली बैठक में इन पर विचार करेगा तथा शासी बोर्ड के पास कार्यपालक परिषद द्वारा बनाए गए किसी विनियम (विनियमों) को संकल्प द्वारा रद्द करने की शक्ति होगी तथा ऐसे विनियम उस संकल्प की तारीख से रद्द हो जाएंगे।

नियम 36: उप-नियम

36.1 विश्वविद्यालय के अधिकारी इस अधिनियम करार के अनुरूप निम्नलिखित सभी मामलों के संबंध में उप-नियम, नियम व विनियम बना सकते हैं, परंतु निम्नलिखित मामलों तक सीमित नहीं होंगे, यथा:

(i) यदि पहले से ही प्रावधान नहीं किया गया है, तो किसी प्राधिकरण, निकाय अथवा समिति की बैठक में अपनाए जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या निर्धारित करना;

(ii) इस करार, इन नियमों अथवा विनियमों द्वारा उन सभी मामलों के लिए प्रावधान करना, जो उप नियमों द्वारा निर्धारित किए जाने हैं; और

LatestLaws.com

(iii)ऐसे प्राधिकरण, निकायों अथवा समितियों से संबंधित सभी अन्य मामलों के लिए प्रावधान करना, जिन्हें इस करार, इन नियमों अथवा विनियमों द्वारा नियुक्त तो किया गया है, परंतु उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

36.2 प्रत्येक उप नियम में ऐसे प्राधिकरण, निकाय अथवा समिति के सदस्यों को बैठक की तारीख तथा बैठक में विचार-विमर्श किए जाने वाले मुद्दों के बारे में नोटिस देने तथा ऐसी बैठकों की कार्रवाई का रिकार्ड रखने के प्रावधान शामिल होंगे।

36.3 कार्यपालक परिषद इन नियमों अथवा विनियमों के अंतर्गत बनाए गए उप नियमों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन करने अथवा ऐसे उप नियमों को रद्द करने का निदेश दे सकती है।

नियम 37: डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र

37.1 विश्वविद्यालय ऐसे विषयों में डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा, जो विनियमों में निर्धारित किए गए हैं।

37.2 विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्रियों, डिप्लोमों तथा प्रमाण-पत्रों को सार्क के सभी देशों के शैक्षिक संस्थानों तथा उच्चतर शिक्षा आयोगों/निकायों द्वारा विधिवत मान्यता दी जाएगी।

नियम 38: गुणवत्ता आश्वासन/मुख्य एवं क्षेत्रीय परिसरों का आकलन

विश्वविद्यालय में उप नियमों में निर्धारित नियामकों के अनुसार अध्यापन तथा शैक्षिक निष्पादन के मूल्यांकन के लिए गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम होंगे।

नियम 39: विश्वविद्यालय के अंतर्गत संस्थान

39.1 विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित अथवा मान्यताप्राप्त अथवा इसके साथ संबद्ध संस्थान हो सकते हैं।

39.2 विश्वविद्यालय जिन शर्तों एवं अनुबंधों के अंतर्गत किसी संस्थान को मान्यता प्रदान करेगा और विश्वविद्यालय के साथ किसी संस्थान की संबद्धता का नोटिस विनियमों में विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार होंगे।

नियम 40: नियमों में संशोधन

40.1 कार्यपालक परिषद शासी बोर्ड को संशोधन का प्रस्ताव भेज सकता है, जोकि प्रस्तावों पर विचार करेगा और निर्णय लेगा। सदस्य देश सार्क सचिवालय के माध्यम से शासी

LatestLaws.com

बोर्ड की बैठक के कम से कम तीन महीने पहले शासी बोर्ड को प्रत्यक्ष रूप से नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव भी भेज सकते हैं, जिन पर शासी बोर्ड विश्वविद्यालय के कार्यपालक परिषद के परामर्श से विचार करेगा तथा निर्णय लेगा।

40.2 यदि शासी बोर्ड संशोधन के पक्ष में निर्णय लेता है तो वह संशोधन को अंतिम रूप से अनुमोदन के लिए सार्क स्थायी समिति को अग्रेषित करेगा।

श्रीप्रिया रंगनाथन, संयुक्त सचिव (सार्क)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(SAARC DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2013

The South Asian University First Rules, 2013

F. No. BI-321/60/11.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 (1) of the South Asian University Act, 2008 (8 of 2009), the Inter-Governmental Steering Committee of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) hereby makes the first rules, for the operation of the South Asian University, to be called as the South Asian University First Rules, 2013, which shall apply to the main campus, Regional Centres, campuses or centers of the University and shall be deemed to have come into force on the 7th day of March, 2011, namely:-

RULE 1: Definitions.-

1.1 "Academic Council" means the Academic Council of the University.

1.2 "Academic Staff" means staff and posts whose function is primarily teaching or research in the University.

1.3 "Act" means the South Asian University Act, 2008.

1.4 "Agreement" means the Agreement for Establishment of University signed in New Delhi on 4th April 2007 (*Annexed*).

1.5 "Authority" means any officer or body of the University who is empowered to take decisions and implement them;

1.6 "Bye-laws" means the Bye-laws of the University.

1.7 "Centre" means a unit of the University providing, teaching, consultancy and research facilities;

1.8 "Departments" means the Departments created within Faculties.

1.9 "Employee" means any person appointed by the University and includes academic and other staff of the University.

1.10 "Executive Council" means the Executive Council of the University.

LatestLaws.com

1.11 "Faculty" means the faculty of the University and would comprise a unit of study of a single or a group of disciplines/subjects.

1.12 "Governing Board" means the Governing Board of the University.

1.13 "Officers of the University" means President, Vice President(s), Registrar, Director Finance, Dean of Students, Proctor, Librarian, Director of Admissions and Examinations, Director of Information and Communication Technology and other officers ,so designated by the Governing Board of the University.

1.14 "Prescribed" means prescribed by Rules, Regulations and Bye-laws of the University.

1.15 "President" means the President of the University who would also be the Chief Executive Officer of the University.

1.16 "Proctor" means the Proctor of the University.

1.17 "Regional Campus" means a campus, other than the Main Campus of the University in New Delhi, established anywhere else in SAARC countries.

1.18 "Registrar" means the Registrar of the University.

1.19 "Regulations" means the Regulations of the University.

1.20 "Research Staff" means scholars appointed for specific purpose of research by the University.

1.21 "Rules" means the Rules of the University.

1.22 "SAARC" means the South Asian Association for Regional Cooperation.

1.23 "Teacher" means Professor, Associate Professor and Assistant Professor appointed or recognized by the University, as also Honorary Professor, Visiting Professor, Visiting Scholar, Adjunct Professor, Emeritus Professor.

1.24 "University" means the South Asian University Main Campus, Regional Campuses and Centres established in pursuance of the Agreement for Establishment of South Asian University signed by the Member States of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) on 4th April 2007 in New Delhi.

1.25 "Visiting Scholar" means temporary member of academic / research staff invited / appointed for specific academic purpose.

1.26 "Visitor" means the Visitor of the University.

RULE 2: Visitor.-

2.1 The Chairperson of SAARC shall be the Visitor of the University.

2.2 The Visitor shall preside over the Convocation of the University for conferring degrees including honorary degrees.

2.3 If the Visitor is unable to be present, he or she may nominate the Foreign Minister or any other eminent person to preside over the Convocation.

LatestLaws.com

RULE 3: The Governing Board.-

3.1 Composition of the Governing Board

3.1.1 The Governing Board shall have two members from each SAARC Member-State to be nominated by respective Member-States in the manner described in Regulations.

3.1.2 The President will be ex-officio member of the Governing Board.

3.1.3 The Governing Board will be headed by a Chairperson who shall be from a Member State other than the one to which the President of the University belongs.

3.1.4 The Chairperson of the Board shall be elected from amongst the members of the Governing Board for a single term of one year on a rotational basis.

3.1.5 Members of the Governing Board shall hold the position for a fixed term of three years and shall not hold the office for more than two consecutive terms.

3.1.6 The Secretary General of SAARC or his/her representative will participate in all meetings of the Governing Board.

3.1.7 The Registrar shall act as Secretary of the Governing Board, without any decision making roles.

3.2 Powers of the Governing Board

3.2.1 The Governing Board shall be the highest policy and decision making body of the University. All decisions in the Governing Board shall be taken on the basis of unanimity in accordance with the principles laid down in SAARC Charter.

3.2.2 The Governing Board will oversee the academic, administrative and financial management of the University and will primarily be responsible for liaison with the SAARC Secretariat and SAARC Member States in matters relating to the University.

3.2.3 The Governing Board shall approve the plans, annual budget and academic programmes of the University.

3.2.4 The Governing Board shall have power to appoint or remove the President of the University and approve his or her emoluments and service conditions.

3.2.5 The Governing Board will nominate expert members of the selection committees for appointment of teachers and officers of the University.

3.2.6 The Governing Board will have the power to approve and amend Regulations and Bye-laws of the University and recommend amendments in Rules to the Standing Committee for their approval.

3.2.7 The Governing Board will authorize the Executive Council and the President to implement the Rules, Regulations and Bye-laws.

3.2.8 The Governing Board shall ensure the proper functioning of the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee as per the provisions of the Agreement, Rules, Regulations and Bye-laws.

3.2.9 The Governing Board will monitor the progress of the University through the annual report including the periodical reports submitted by the President on behalf of the Executive Council and will have powers to give directions to the Executive Council as per Agreement, Rules, Regulations and Bye-laws.

LatestLaws.com

3.2.10 The Governing Board may refer any unresolved issues to the Standing Committee and SAARC Council of Ministers for resolution.

3.2.11 The Governing Board will have the power to fix or alter the salaries and service conditions of all employees.

Rule 4: Funding of the University.-

4.1 University will derive its funds through the following, namely:-

(a) State contributions,
(b) Students fee,
(c) License fee for residential and other kinds of accommodation,
(d) Donations and Endowments,
(e) Research Grants and Consultancies,
(f) Public – Private Partnerships, (PPP method)
(g) any other means with the approval of the Governing Board.

4.2 For the first phase of five years (calendar years 2010 to 20114), the share of the Member-States in funding the operational cost of the Main campus of the University will be as follows: Afghanistan, 2.30 million; Bhutan, 2.30 million; Bangladesh, US$ 4.92 million; India, US$ 34.42 million; Maldives, US $ 2.30 million; Nepal US$ 2.95 million; Pakistan, US$ 7.85 million, and Sri Lanka, US$ 2.95 million.

4.3 Cost share of the Member-States for the operational cost of the University beyond phase 1 will be determined later.

RULE 5: Appointment and Powers of the President.-

5.1 Appointment of the President.

5.1.1 i) The President shall be appointed by the Governing Board. ii) He or she shall be a citizen of one of the SAARC countries and shall be a person with global perspective and understanding, particularly of the SAARC region. iii) The person should be of outstanding academic excellence having at least 10 years of teaching and research experience at the level of Professor in a recognized University or academic institutions. The person should also have proven professionalism and leadership qualities.

5.1.2 The first President of the University shall be nominated by the host country. Subsequent Presidents of the University shall be nominated by the respective Member-States of SAARC on the principle of alphabetical rotation.

5.1.3 The host country will submit a panel of three names as its nominees based on the qualification as laid down in Rule 5.1.1 for appointment of the first President by the Governing Board.

5.1.4 Subsequent Presidents will be nominated by the respective SAARC Member States and appointed by the Governing Board in the same manner as outlined in Rule 5.1.3.

5.1.5 In the exceptional circumstance that the Governing Board does not approve any of the names included in the panel, it may request for a fresh panel from the nominating Member-State.

5.1.6 The President shall hold office for a term of five years from the date on which he or she assumes office and shall not be eligible for reappointment.

5.1.7 The President shall be entitled to such emoluments as prescribed in the Regulations.

5.2 Powers and Functions of the President.

2443/31

LatestLaws.com

In addition to the powers and functions of the President given in the enclosed Agreement, the President will have the following functions and powers:

5.2.1 The President shall be responsible to maintain and promote efficiency and good order of the University.

5.2.2 It shall be the duty of the President to make every effort to ensure that the provisions of the Rules, the Regulations and Bye-laws are duly observed and the decisions taken by the authorities of the University are implemented.

5.2.3 The President shall have the power to convene meetings of the Executive Council, Academic Council and the Finance Committee and shall perform all such functions as may be necessary to carry out the provisions of Rules, Regulations and Bye-laws.

5.2.4 The President, in consultation with the Executive Council, shall actively work and facilitate the inflow of funds in term of private donation, endowments, and national or international grants, promote public-private collaboration, and University-industry interfaces, as per the guidelines approved by the Governing Board.

5.2.5 The President shall be entitled to be present at and to address any meeting of any authority or body or committee of the University, but shall not be entitled to vote thereat unless he or she is a member of such authority or body or committee.

5.2.6 If, in the opinion of the President, any emergency has arisen which requires immediate action to be taken, he or she shall take such action as he/she deems necessary and shall report the same, for approval, at the next meeting to the authority which, in the ordinary course, would have dealt with the matter. Provided that, if the action taken by the President is not approved by the authority concerned, he/she may refer the matter to the Executive Council whose decision thereon shall be final.

5.2.7 If the office of the President becomes vacant, the functions of he or she office shall, until some person is appointed under Rule 5.1 to the vacant office, be performed by the Vice President and if there are two or more Vice-Presidents, by the senior-most Vice-President.

5.2.8 The President shall exercise such other powers as may be prescribed by the Regulations.

RULE 6: Vice President.-

6.1 The President will identify up to three professors working in the University for appointment as Vice Presidents. Subject to the availability of suitable candidates, the Vice Presidential candidates should be from SAARC Member States other than that of the President. The next President will strive to look for Vice Presidential candidates from amongst the countries other than those to which the previous set of Vice Presidents belonged.

6.2 If there are more than one Vice-Presidents, the senior most among them shall be designated "Senior Vice-President".

6.3 Terms and conditions of service of the Vice President shall be as laid down in the Regulations.

6.4 Vice Presidents will have tenure of five years and their appointment will be co- terminus with that of the President.

6.5 The Vice President shall have the following powers and functions:

32

LatestLaws.com

6.5.1 i) The Vice President shall assist the President in respect of such matters as may be specified and entrusted by the President on his behalf. ii) He or she shall also exercise such other powers and perform such duties as may be delegated to him/her by the President, from time to time.

6.5.2 Where the President is the Chairperson of any authority, body or committee of the University and he or she is absent for any reason whatsoever from any meeting of such authority, body or committee, he or she will authorize one of the Vice Presidents to chair the meeting. In the absence of such an authorization, the senior-most Vice President shall preside over such meetings.

6.5.3 The Vice President shall, on being authorized by the President on his/her behalf, be entitled to be present at and to address any meeting of any authority, body or committee of the University but shall be entitled to vote thereat only if the President was a voting member of that authority, body or committee.

RULE 7: Deans of Faculties.-

7.1 Every Dean of Faculty shall be appointed by the President from amongst the Professors of respective Faculties, for a period of three years and he/she shall be eligible for reappointment for a second term only if other eligible professors are not available:

Provided that when the office of the Dean is vacant or when the Dean is, by reason of illness or absence or any other cause, unable to perform the duties of his/her office, the duties of the office shall be performed by such person as the President may appoint for that purpose

7.2 i) The Dean shall be the Head of the Faculty and shall be responsible for the conduct, and standard of teaching and research in the Faculty. ii) He or she shall also perform such other functions as are laid down in by the Regulations.

7.3 The Dean shall have the right to be present and to speak at any meeting of a Board or Committee of the Faculty but not the right to vote thereat unless he or she is a member thereof.

7.4 Duties and powers of the Deans of Faculties shall be such as may be specified in Regulations.

RULE 8: Registrar.-

8.1 The Registrar of the University shall be appointed by the Executive Council, by an open selection through advertisement and interview, and shall be a full-time officer of the University:

Provided that when the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is, by reason of illness or absence for any other cause, unable to perform the duties of the office, such duties shall be performed by such persons as the President may appoint for the purpose.

8.2 The Registrar shall be the non-voting Member Secretary of the Executive Council as well as the Academic Council of the University.

8.3 Duties and powers of Registrar shall be such as may be specified in the Regulations.

RULE 9: Director Finance.-

9.1 The Director Finance of the University shall be appointed by the Executive Council, by an open selection through advertisement and interview, or invited on deputation and shall be a full-time officer of the University. Provided that when the office of the Director Finance is vacant or when the Director Finance is, by reason of illness or absence for any other cause, unable to perform the duties

LatestLaws.com

of office, such duties shall be performed by such persons as the President may appoint for the purpose.

9.2 The Director Finance shall be the non-voting Member-Secretary of the Finance Committee of the University.

9.3 Duties and Powers of the Director Finance will be as laid down in Regulations.

RULE 10: Other Officers of the University.-

10.1 The following shall also be the officers of the University, namely:-

(i) Dean of Students

(ii) Proctor

(iii) Librarian

(iv) Director of Admissions and Examinations

(v) Director of Information and Communication Technology (ICT)

10.2 Appointment and duties of Dean of Students.

10.2.1 i) The Dean of Students shall be appointed by the Executive Council from amongst the Professors of the University on the recommendation of the President.

ii) The Dean so appointed shall be a full-time officer and shall hold office for a term of three years and may be eligible for re-appointment for one additional term.

10.2.2 The person who is appointed as the Dean of Students shall continue to hold his/her lien on his/her substantive post and shall be eligible to all the benefits that would have otherwise accrued to him/her but for his/her appointment as the Dean of Students.

10.2.3 When the office of the Dean of Students is vacant or when the Dean of Students is, by reason of illness or absence for any other cause, unable to perform the duties of his/her office, such duties shall be performed by such persons as the President may appoint for that purpose.

10.2.4 The duties and powers of the Dean and the Associate Dean of Students shall be as laid down in the Regulations.

10.3 Appointment and duties of the Proctor.

10.3.1 The Proctor shall be appointed by the Executive Council from amongst the Professors of the University on the recommendation of the President and shall exercise such powers and perform such duties in respect of the maintenance of discipline and cooperation aimed at promoting healthy academic life in the University.

10.3.2 The Proctor shall hold office for a term of three years and shall be eligible for re-appointment for one additional term.

10.4 **Appointment and duties of the Librarian.**

LatestLaws.com

10.4.1 The Librarian shall be appointed by the Executive Council by an open selection through advertisement and interview, and shall be a full-time officer of the University.

10.4.2 The duties and powers of the Librarian shall be such as specified in the Regulations.

10.5 **Appointment and Duties of Director of Admissions and Examinations.**

10.5.1 The Director of Admissions and Examinations shall be appointed by the Executive Council by an open selection through advertisement and interview, and shall be a full-time officer of the University.

10.5.2 The duties and powers of the Director of Admissions and Examinations shall be as laid down in the Regulations.

10.6 **Appointment and Duties of the Director Information and Communication Technology**

10.6.1 (i) The Director of Information and Communication Technology shall be appointment by the Executive Council by an open selection through advertisement and interview, and shall be a full-time officer of the University.

(ii) He/She will be responsible for implementing and maintaining in the University a state of the art in the field of information technology and e-governance.

10.6.2 The duties and powers of the Director of Information and Communication Technology shall be as laid down in the Regulations.

RULE 11: The Executive Council.-

11.1 The Executive Council shall consist of the following members, namely:

(i) the President (ex-officio), who shall be the Chairperson of the Executive Council;

(ii) all Vice Presidents, ex-officio;

(iii) all Heads of Regional Campuses;

(iv) the Chairperson of the Library Committee;

(v) four persons nominated by the Governing Board from amongst the leaders of industry, commerce and professional / research/educational institutions. These nominations would be on rotational basis from SAARC member States;

(vi) the Dean of Students, ex-officio;

(vii) not more than five Deans of Faculties, nominated by the President by rotation according to seniority;

(viii) the Registrar as non-voting Member Secretary; and

(ix) the Director Finance as a non-voting member;

11.2 The nominated members of the Executive Council shall hold office for a term of two years commencing from the date of their nomination.

LatestLaws.com

11.3 Two-thirds of the member of the Executive Council shall form the quorum for its meetings and decisions shall be taken by three-fourths majority of the members present and voting.

11.4 The Executive Council shall meet at least twice each year. A special meeting of the Council may be convened by the President as warranted by necessity or on signed requisition of 50% of the members of the Executive Council. The agenda for all meetings of the Council shall be supplied to each member of the Council entitled thereto not less than fifteen (15) clear working days before the day assigned.

11.5 Powers of Executive Council will be as laid down in Regulations.

RULE 12: The Academic Council.-

12.1 The Academic Council shall consist of the following members, namely:

(i) the President, who shall be the ; ex-officio, Chairperson of the Academic Council;

(ii) the Vice President (s), ex-officio;

(iii) Deans of Faculties, ex- officio;

(iv) Directors of Institutes set up by the University, ex-officio;

(v) Heads of Regional Campuses

(vi) Chairpersons of Interdisciplinary Research Centres, ex-officio;

(vii) Dean of Students, ex-officio;

(viii) Librarian, ex-officio;

(ix) Chairman of the Library Advisory Committee;

(x) Heads of Departments, ex-officio;

(xi) the Chairperson of Special Centres and Specialized Laboratories, ex-officio;

(xii) One Professor and one Associate Professor other than the ex-officio members from each Faculty, nominated by the President by rotation in order of seniority within the Faculty; and

(xiii) Three experts (not being employees of the University or an institution recognized by it), co-opted by the Academic Council on the recommendation of the President.

12.2 All members of the Academic Council, other than the ex-officio members, shall hold office for a term of two years from the date of their nomination. The term of the members shall commence on the date of their nomination or co- option, as the case may be.

12.3 For specific items, on a written request from the students, the President may allow up to two students to present their point of view to the Academic Council.

12.4 Two-thirds of the membership of the Academic Council shall form the quorum for its meetings and decisions shall be taken by three-fourths majority of the members present and voting.

12.5 Powers of the Academic Council will be such as specified in Regulations.

LatestLaws.com

RULE 13: Regional Campus.-

13.1 The University will have Regional Campus in different SAARC Member States by following the procedures laid down in the Regulations.

13.2 The Regional Campus will have a Head who would be the Chief Executive Officer of the campus and would administer the Regional Campus guided by the Regional Council. Powers and functions of the Head of the Regional Campus and that of the Regional Council shall be laid down in the Regulations.

13.3 (i) The Head of the Regional Campus shall be appointed by the Governing Board.

(ii) He or she shall be a citizen of one of the SAARC countries with qualifications laid down by the Governing Board.

13.4 The first Head of each Regional Campus shall be nominated by the host country and thereafter subsequent Heads of the Regional Campuses shall be nominated by the respective Member States of SAARC on the principle of alphabetical rotation and appointed by the Governing Board on the same basis as outlined in Rule 13.5 below.

13.5 The host country will submit a panel of three names as its nominees from which Head of the Regional Campus will be selected by the Governing Board.

13.6 In the exceptional circumstance that the Governing Board does not approve any of the names included in the panel, it may request for a fresh panel from the nominating Member State.

13.7 The Head of the Regional Campus shall hold office for a single non-renewable term of five years from the date on which he/she assumes office.

13.8 The Regional Campus in any SAARC Member State would be a Centre of academic excellence that would strive to take advantage and make use of special expertise and proven knowledge and skills available in that country including its achievements in science and technology and its geographic, environmental, socio-economic and cultural features.

13.9 The governance structure, financial authority, faculty and student body of the Regional Campus will generally be in tune with those of the Main Campus, as laid down in the Regulations.

RULE 14: Faculties, Research Centres, other Institutions.-

14.1 i) The University shall have such Faculties, Departments, Research Institutions, Interdisciplinary Research Centres, Specialized Laboratories, and other academic units as are specified in the Regulations. Such entities should be established by the authorization of the Governing Board.

ii) Academic programmes of the University particularly PhD, should be geared to meet the objectives stated in Article 2 of the Agreement.

14.2 New academic activities in the form of Research Centres, Research Institutions, Faculties, Departments or any other academic unit may be established in the University by following the procedures laid down in the Regulations.

14.3 English will be the official language of instruction and communication in the University.

14.4 Every Faculty shall have a **Board of Studies** consisting of the following members, namely:

(i) the Dean of the Faculty who shall preside over the meeting of the Board;
(ii) the Associate Deans / Heads of the Departments in the Faculty/Institute ;

LatestLaws.com

(iii) all Professors in the Faculty;

(iv) two Associate Professors and two Assistant Professor by rotation according to seniority, from within the Faculty in case the Faculty has no Departments;

(v) if the Faculty has Departments, one Associate Professor and one Assistant Professor by rotation according to seniority, from each Department within the Faculty;

(vi) three members nominated by the Academic Council for their special knowledge in any subject assigned to the Faculty or in any allied branch of knowledge;

14.5 All members of the Board other than the ex-officio members shall hold office for a term of two years. The term of members shall commence from the date of nomination.

14.6 Every Board shall have such powers and shall perform such duties as may be prescribed by the Regulations.

14.7 The conduct of the meetings of a Board and the quorum required shall be as laid down in the Regulations.

RULE 15: Departments.-

15.1 A Faculty may have such Department or Departments as may be assigned to it by the Regulations.

15.2 Each Department shall have a Head who shall be appointed, on rotational basis, by the President from amongst the Professors of the Department for a period of two years. Provided that if any Department has no Professor, the President may appoint one of the Associate Professors as the Chairperson of the Department.

15.3 Each Department will have an Academic Committee consisting of the following members:

(i) Head of the Department;

(ii) Teachers of the Department;

(iii) Honorary Professors, if any, attached to the Department; and

(iv) Two persons from other faculties or Departments, nominated by the Academic Council for their knowledge in subjects allied to those dealt with in the Departments.

15.4 Two-thirds of the membership of the Academic Committee will form the quorum for its meetings and decisions will be taken by two-thirds majority of the members present and voting.

15.5 The duties and functions of a Head or Chairperson of the Department shall be such as may be specified in the Regulations.

RULE 16: The Finance Committee.-

16.1 The Finance Committee shall consist of the following members, namely;

(i) the President;

(ii) Vice Presidents;

(iii) One person nominated by the Governing Board;

3447/20

LatestLaws.com

(iv) two persons from any two SAARC Member States on the principle of rotation, who are not employees of the University or of any recognized institution, at least one of them being an experienced Chartered Accountant, nominated by the Executive Council;

(v) the Registrar, as non-voting member;

(vi) two Deans of the Faculties by rotation, nominated by the President;

(vii) the Director Finance as non-voting Member Secretary.

16.2 The President shall preside over the meeting of the Finance Committee.

16.3 All members of the Finance Committee, other than the ex-officio members, shall hold office for a term of three years.

16.4 The Finance-Committee shall meet at least twice every year to examine accounts, prepare the budget and scrutinize proposals for expenditure.

16.5 The annual accounts and financial estimates of the University prepared by the Director Finance shall be laid before the Finance Committee for consideration and comments and thereafter submitted to the Executive Council for approval with or without amendments.

16.6 Two-thirds of the membership of the Finance Committee shall form the quorum for its meetings, and decisions will be taken by three-fourths majority of the members present and voting.

RULE 17: Appointment of Committees.-

17 The Governing Board, Executive Council or the Academic Council may appoint Committees consisting of members of the authority making such appointment and of such other persons (if any) as that authority in each case may think fit; and any such Committee may deal with any subject assigned to it, contingent upon subsequent confirmation by the authority which appointed it.

RULE 18: Alternate Arrangement for Presiding over meetings

18 Where, by the Statues or the Regulations, no provision is made for a Chairperson to preside over a meeting of any University Authority, Board or Committee, or when the Chairperson so provided for is absent, the members present shall elect one among them to preside at the meeting.

RULE 19: Resignation.-

19.1 Any member other than an ex-officio Member of any Authority of the University or Board or Committee may resign by submitting a letter of resignation addressed to the Registrar and the resignation shall take effect from the date of acceptance by the Authority or Board or Committee, as the case may be.

19.2 Any officer of the University (whether salaried or otherwise) may resign from his/her office by submitting a letter of resignation addressed to the Registrar. Provided that such resignation shall take effect from the date of its acceptance by the authority competent to fill the vacancy.

LatestLaws.com

RULE 20: Disqualification of Members of Authorities.-

20.1 A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of any of the Authorities of the University;

(i) if he or she is found insane by a competent authority;

(ii) if he or she has been involved in a case of financial embezzlement so established by a fact finding committee of the University;

(iii) if he or she has been convicted by a Court of Law for an offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than six months.

20.2 If any question arises as to whether a person is or had been subjected to any of the disqualifications mentioned in clause 20.1, the question shall be referred for decision to the Executive Council and its decision shall be final, and no suit or other proceeding shall lie in any court of law against such decision.

RULE 21: Conferment of honorary degrees.-

21 Any proposal for the conferment of honorary degrees shall be made by the Academic Council to the Executive Council, and the proposal, if accepted by the Executive Council, shall require the approval of the Governing Board.

RULE 22: Withdrawal of degrees, diplomas distinctions, etc.-

22 The Academic Council may, by a special resolution passed by a majority of not less than three-fourths of the members present and voting, recommend to the Executive Council, the withdraw any degree or academic distinction conferred on, or any certificate or diploma granted to, any person by the University for good and sufficient cause:

Provided that no such resolution shall be passed until a notice in writing has been given to that person calling upon him or her to show cause within such time as may be specified in the notice why such resolution should not be passed and until his/her objections, if any, and any evidence he or she may produce in support of them, have been considered by the Academic Council.

RULE 23: Teachers of the University.-

23.1 Teachers of the University shall be the following:-

(i) full time employees of the University appointed by the Executive Council as Professors, Associate Professors and Assistant Professors;

(ii) persons appointed by the Executive Council as Honorary Professors, Visiting Professors, Visiting Scholars, Adjunct Professors or Emeritus Professors of the University.

23.2 Teachers of the University will predominantly be the citizens of the SAARC Member States. Subject to availability, teachers from any of the SAARC Member States should comprise at least 4% of all teachers in the University. Up to 20% of the sanctioned posts of teachers may be filled by citizens of countries outside SAARC region with the proviso that teachers from SAARC region may be appointed if non-SAARC teachers are not available.

23.3 All teachers will be selected strictly on basis of merit, by procedures laid down in Regulations.

LatestLaws.com

23.4 Teachers appointed in a particular Faculty will have option of joining another Faculty as an Adjunct faculty member as per procedures laid down in the Regulations.

23.5 No person shall be appointed as a teacher of the University under sub-clause 23.1 above except on the recommendations of a Selection Committee constituted for the purpose except when appointed by the Executive Council under Rule 24.

23.6 The duties of the University Teachers shall include the following:-

(i) to be non-partisan, non-denominational and strictly neutral;

(ii) to teach the students by means of lectures, tutorials, discussions, seminars, demonstrations etc;

(iii) to conduct, guide and supervise research;

(iv) to maintain individual guidance and supervise the students in extracurricular activities;

(v) to assist the authorities in preparing courses, syllabi, conducting examinations, or organizing libraries, laboratories and other curricular and extracurricular activities of the university;

(vi) to perform such other functions and duties as are assigned to them by the University.

RULE 24: Appointment by Invitation.-

24 Notwithstanding anything contained in Rule 23, the Executive Council may invite a person of high academic distinction and professional attainment to accept a post of Professor in the University, as the case may be, on such terms and conditions as it deems fit, and on the person agreeing to do so, appoint him or her to the post.

RULE 25: Condition of Service of employees.-

25.1 Every employee of the University shall be appointed under a written contract, which shall be lodged with the University and a copy thereof shall be furnished to the employee concerned.

25.2 (i) Any dispute arising out of a contract between the University and any employee shall, at the request of the employee concerned, be referred to a **Tribunal of Arbitration** consisting of one member nominated by the employee concerned, one person nominated by the University and an umpire appointed by the Governing Board, who would serve as the Chairperson of the Tribunal, as laid down in Bye-laws.

(ii) The decision of the Tribunal shall be final.

RULE 26: Admissions of Students.-

26.1 (i) Students of the University will be selected on the basis of common admission tests according to the procedures laid down in the Regulations.

(ii) All admission tests of the University will be conducted in English.

26.2 Not more than 50% of the students will be admitted from the host country.

26.3 Up to 10% of the students may be admitted from countries outside the SAARC region.

LatestLaws.com

26.4 Students from the Member State other than the host country shall generally be based upon the population proportion with not less that 4% of students from each Member States provided they fulfill admission criteria.

26.5 If, however sufficient qualified students are not available to fill the minimum quota (4%) of any country, the President, on advice of the Academic Council, may offer the vacant seats to students from other countries after exhausting the waiting lists from other SAARC Member States.

26.6 In Regional Campuses of the University, 50% of the students will be admitted from the host country, 10% from outside SAARC region, and the remaining students will be admitted from other SAARC Member-States in proportion of their populations with a minimum of 4% of students from each Member State. If some quota seats remain vacant, they may be offered to the eligible candidates of the host country (on the panel of waiting list, after exhausting the waiting lists from other SAARC Member States).

RULE 27: Visa and Residential Permit.-

27 As per Article 6 of the Agreement, the member States will provide appropriate visas to the students, faculty and staff for travel in all SAARC Member States and grant necessary residential permits for students, faculty and the administrative staff to work in the University and its different campuses, Centres and collaborative educational institutions.

RULE 28: Rights and Responsibilities of Students.-

28 All students admitted to the University shall have such rights and liabilities as may be specified in the "Hand-book for Students for South Asian University" that will form an integral part of the University's Bye-laws.

RULE 29: Discipline of Students.-

29.1 All powers relating to discipline and disciplinary action in relation to students shall vest in the President.

29.2 The President may delegate all or such of his/her powers as he/she deems proper to the Proctor and to such other person or persons as he/she may specify in this behalf.

29.3 Without prejudice to the generality of his/her powers relating to the maintenance of discipline and taking such action in the interest of maintaining discipline as may seem to him/her appropriate, the President may, in the exercise of his/her aforesaid powers, order or direct that any student or students be expelled from any Department, Faculty, or Research Centre / Institution maintained by the University, Department, or be, for a stated period rusticated or be not, for a stated period, admitted to a course or courses of study in any such Department, Faculty, or Research Centre / Institution maintained by the University, or be fined a sum that may be specified, or be debarred from taking an examination or examinations for one or more semesters or that the results of student or students concerned in the examination or examinations in which he/she has or they have appeared be cancelled or withheld.

29.4 The Deans of the Faculties, Heads of Regional Campuses, the Heads of Institutions, Departments, Research Centres or any other academic units in the University shall have the authority to exercise all such disciplinary powers over the students in their respective jurisdictions as may be necessary for the proper conduct of such academic units.

29.5 Without prejudice to the powers of the President and the Proctor as specified in these the Rules or under Regulations, the Deans, the Heads of Regional Campuses, Heads of the Institutions,

LatestLaws.com

Departments, Research Centres and other academic units may also frame such supplementary rules as considered essential for their specific academic functioning.

RULE 30: Alumni Association.-

30.1 There shall be an Alumni Association established for the University.

30.2 The subscription for membership of the Alumni Association shall be as prescribed by the Regulations.

30.3 No member of the Alumni Association shall be entitled to vote or stand for election unless he/she has been a member of the Association for at least one year prior to the date of the election and is a graduate of the University of at least five years' standing, provided that the condition relating to the completion of one year's membership shall not apply in the case of the first election after the establishment of the University.

RULE 31: Annual Report.-

31 The Annual Report of the University shall be prepared by the Executive Council under the direction of the Governing Board and shall be considered by the Governing Board before submission to the Visitor.

RULE 32: Audit of Accounts.-

32.1 (i) The accounts of the University shall, once at least every year and or at an interval not more than 15 months, be audited by an experienced Audit Firm of regional or international repute, authorized by the Governing Board.

(ii) The process of selection of the audit firm will be facilitated by the Executive Council.

32.2 If the audit report points to specific problems, the same will be remedied by the University in an expedient manner through mechanisms laid down in Bye-laws.

32.3 A copy of the University Accounts along with Audit Report will be submitted to the Governing Board for consideration and approval.

RULE 33: Intellectual Property Rights.-

33.1 While it is not a principal aim of the University to undertake research solely in anticipation of profit, financial benefits may be derived from the products of research activity in the University. Such activity must be undertaken within a framework which fairly and adequately safeguards the interests of both the individuals who create the intellectual property as well as the interests of the University.

33.2 For this purpose the University will notify from time to time, its rules for sharing the Intellectual Property Rights in the "Hand-book of Intellectual Property Rights", as laid down in the Bye-laws.

RULE 34: Policy and Procedures on Gender Based Harassment.-

34.1 Gender based Harassment shall be strictly prohibited in the University and it will be applicable to all teachers, academic, administrative and service staffs and the students.

34.2 For this purpose, the "Hand-book to Counter Gender-based Harassment", as laid down in the Bye-laws, would suggest specific procedures for investigating complaints related to gender based

8440/43

LatestLaws.com

harassment and the provisions of punitive actions including expulsion or dismissal against the perpetrator of the gender based harassment.

RULE 35: Regulations.-

35.1 Subject to the provisions of the Agreement and these Rules, the Regulations may provide for all but not restricted to following matters, namely:-

(i) the fees to be charged for courses of study in the University and for admission to the examinations, degrees, diplomas and certificates of the University;

(ii) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(iii) the conditions for the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(iv) the maintenance of discipline among the students of the University;

(v) the conditions of residence of students at the University;

(vi) the numbers, qualifications, emoluments and the terms and conditions of service, of employees of the University;

(vii) the management of Faculties, Departments, Institutions, and Research Centres maintained by the University;

(viii) the supervision and inspection of Faculties, Departments, Institutions, and Research Centres of the university; and

(ix) all other matters which by the Agreement or these Rules are to be or may be provided for by the Regulations.

35.2 The Regulations shall be made by Executive Council with the approval of the Governing Board.

35.3 The Regulations may be amended, repealed or added to, at any time, by the Governing Board.

35.3.1 Notwithstanding anything contained in sub-clauses 35.2 and 35.3, no Regulations shall be made, amended, or added that affect adversely the conditions of residence or discipline of students, except after consultation with the Academic Council.

35.3.2 No Regulations shall be made, amended or added affect adversely the admission or enrolment of students or prescribing examinations, to be recognized as equivalent to the University examinations; or affect adversely the conditions, mode of appointment or duties of examiners or the conduct or standard of examination or any course of study, unless draft of such Regulation has been considered and approved by the Academic Council.

35.4 The Executive Council shall not have the power to amend any draft proposed by the Academic Council under Rule 35.3.1 to 35.3.2 but may reject the proposal or return the draft to the Academic Council for reconsideration either in whole or in part, together with any amendments which the Executive Council may suggest.

35.5 Where the Executive Council has sent a draft to the Academic Council for reconsideration, the Academic Council shall reconsider and resubmit the draft, either in the original form or in a revised form, to the Executive Council within six months from the date of receipt of reference for the Executive Council.

LatestLaws.com

35.6 All Regulations made by the Executive Council shall the submitted, as soon as may be, to the Governing Board, and shall be considered by the Governing Board at its next meeting; and the Governing Board shall have the power, by a resolution to cancel any Regulation(s) made by the Executive Council, and any such Regulation shall, from the date of such resolution, cease to have effect.

RULE 36: BYE-LAWS.-

36.1 The authorities of the University may make Bye-laws consistent with the Act, Agreement, these Rules and the Regulations for all, but not restricted to, the following matters, namely:

(i) laying down the procedure to be observed at the meeting of any authority, body or Committee, and the number of members required to form a quorum;

(ii) providing for all matters which by the Agreement, these Rules or the Regulations are to be prescribed by the Bye-laws; and

(iii) providing for all other matters solely concerning such authorities, bodies, or committees appointed but not provided for by the Agreement, these Rules or the Regulations.

36.2 Every Bye-law shall include provisions for giving of notice to the member of such authority, body or committee of the dates of meetings and of the business to be considered at the meeting and for keeping of the record of the proceedings of such meetings.

36.3 The Executive Council may direct the amendment in such a manner as it may specify, of any Bye-laws made under these Rules or the Regulations, or the annulment of any such Bye-laws.

RULE 37: Degrees, Diplomas, Certificate.-

37.1 The University shall award Degrees, Diplomas and Certificates in such subjects as may be specified in the Regulations.

37.2 Degrees, Diplomas and Certificates awarded by the University will be duly recognized by educational institutions and higher education commissions / bodies in all SAARC Member States.

RULE 38: Quality Assurance/Assessment of Main and Regional Campuses.-

38 The University will have Quality Assurance programmes for the pedagogy and evaluation of academic performance, as per the norms laid down in the Byelaws.

RULE 39: Institutions under the University.-

39.1 The University may have institutions maintained or recognized by it or associated with it.

39.2 The terms and conditions, under which any institution may be recognized by the University, and the notice of association of any institution with the University, shall be such as may be specified in Regulations.

RULE 40: Amendment of Rules.-

40.1 The Executive Council may propose amendment to the Governing Board, which will consider the proposal and take a decision. Member States may also directly propose amendments to Rules to the Governing Board at least three months before a Governing Body meeting, through the SAARC

LatestLaws.com

Secretariat, which the Governing Board will consider in consultation with the Executive Council of the University and take a decision.

40.2 If the Governing Board decides in favor of the amendment, it will forward the amendment to the SAARC Standing Committee for final approval.

SRIPRIYA RANGANATHAN, Jt. Secy. (SAARC)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.